उ0प्र0 शासन
लोक निर्माण अनु0-5
संख्या :-74/2022/1086/23-5-22-15(भवन)/2020टीसी
लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2022

शुद्धि - पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में राजभवन परिसर के कुल 03 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 144.01 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 75.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश सं0-45/2022/001-114आ0-23-5-22-15(भवन)/2020टीसी, दिनांक 30.08.2022 निर्गत किया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30.08.2022 की सूची के क्रमांक-1 पर अंकित "राजभवन स्थित अन्नपूर्णा कक्ष के पीछे कर्मयोगी भवन में किचन का जीर्णोद्धार कार्य" हेतु स्तम्भ-5 में आगणन की लागत धनराशि रू0 39.69 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 36.69 लाख टंकित हो गया है।

3- अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 30.08.2022 के क्रमांक-1 पर अंकित "राजभवन स्थित अन्नपूर्णा कक्ष के पीछे कर्मयोगी भवन में किचन का जीर्णोद्धार कार्य" हेतु स्तम्भ-5 में आगणन की लागत **धनराशि रू0 36.69 लाख के स्थान पर रू0 39.69 लाख** एवं कुल योग धनराशि हेतु स्तम्भ-5 में अंकित **धनराशि रू0 144.01.लाख के स्थान पर रू0 147.01 लाख** पढ़ा जाय।

विषयगत शासनादेश दिनांक 30.08.2022 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या :-74/2022/1086(1)/23-5-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0(वि0) अनु0, लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in